असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 नवम्बर, 2020

सप्तदश विधान सभा — बुधवार, तिथि 25 नवम्बर, 2020 ई0
प्रथम सत्र — 04 अग्रहायण, 1942 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । जो माननीय सदस्य अभी तक शपथ या प्रतिज्ञान नहीं किये हैं उनके नाम सभा सचिव पुकारेंगे । सभा सचिव ।

सभा सचिव:

निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम	माननीय सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान
41-निर्मली	श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव	शपथ
106-जीरादेई	श्री अमरजीत कुशवाहा	प्रतिज्ञान
153-गोपालपुर	श्री नरेन्द्र कुमार नीरज	शपथ
178-मोकामा	श्री अनंत कुमार सिंह	शपथ

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब अध्यक्ष के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है । सभा सचिव महामहिम राज्यपाल के आदेश को पढ़ेंगे ।

सभा सचिव: महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को मैं पढ़ता हूँ :-

''बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 (1) के अनुसार मैं फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल इसके द्वारा बिहार विधान सभा के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दिनांक 25 नवम्बर, 2020 की तिथि निर्धारित करता हूँ ।''

पटना,
दिनांक 17.11.2020

ह०/-फागू चौहान
राज्यपाल, बिहार ।''

अध्यक्षः मानननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में जो प्रावधान है, जो मत विभाजन की प्रक्रिया है उसे सभा सचिव पढ़कर सुनायेंगे । सभा सचिव ।

श्री अखतरूल ईमानः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ए0आई0एम0आई0एम0 की ओर से आपसे विनती करना चाहता हूँ और सदन से भी कि आज जो स्पीकर पद के लिए चुनाव कराया जा रहा है। इस बात की भी गुंजाइश थी कि स्पीकर के ओहदे पर बैठने वाला शख्स पक्ष और विपक्ष से ऊपर होता है, वह ''कस्टोडियन ऑफ द हाउस'' होता है । हर चंद इलेक्शन की गुंजाइश है लेकिन अध्यक्ष महोदय अगर हाउस को एतमाद में लेकर इस बात की गुंजाइश की जाती कि साहब सर्वसम्मति से चुनाव हो जाये और यह परिपाटी भी हमारे बुजुर्गों की रही है, उस परिपाटी की भी रखवाली हो जाये तो मैं समझता हूँ यह सदन के लिए अच्छा होता और बिहार में एक अच्छा संदेश जाता । मेरी पार्टी की ओर से आग्रह है और निवेदन है कि सर्वसम्मति से कराया जाय, गुंजाइश भी है कि हमारे दरम्यान में दो उम्मीदवार हैं । अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाय तो सर्वसम्मति से मामला निपट सकता है । इस बात की अगर गुंजाइश है, तो इस पर ध्यान दिया जाय, ये हमारी पार्टी की भावना है ।

अध्यक्षः ठीक है, धन्यवाद । जो प्रक्रिया अभी है उसको पढ़कर यह बता दिया जाता है और जब चुनाव की बात आयेगी उस समय आपकी बात को हम सभा सदन के सामने रखना चाहेंगे और अगर सभा सदन इस पर तैयार होंगे तो निश्चित रूप में यह भी अच्छी बात है कि अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुनाव हो, तो ज्यादा अच्छा है खासकर के इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत । सभा सचिव वो पढ़कर सुनायेंगे जो कार्य संचालन नियमावली में प्रावधान है, जो मत विभाजन की प्रक्रिया है, उसको पढ़कर सुनायेंगे । सभा सचिव ।

सभा सचिवः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 9 जो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है वह इस प्रकार है :-

''नियम- 9 के उप नियम-1: अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर सदस्य को भेजेंगे ।''

''उप नियम-2: इस प्रकार नियत तिथि को पूर्व दिन मध्याह्न से पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को सम्बोधित करते हुए इस आशय के प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य सदन के अध्यक्ष चुने जायें । यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिस सदस्य का नाम प्रस्तावित हो उसका यह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी हैं परंतु कोई सदस्य न तो अपना नाम प्रस्थापित करेंगे, न अपना नाम प्रस्थापित करने वाले किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्थापना का अनुमोदन करेंगे ।''

''उप नियम-3: जिन सदस्य के नाम पर कार्यसूची में कोई प्रस्ताव हो, वे पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उस प्रस्ताव को वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य मात्र तक अपने को सीमित रखेंगे परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिये जाने के पहले किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे ।''

''उप नियम-4: इस प्रकार किये गये और यथावत् अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किये गये हों, उसी क्रम से एक-एक करके मत के लिए रखे जायेंगे और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा । यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यासी व्यक्ति बाहर के प्रस्ताव के रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्थापित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिये गए । अब नियम 56 को पढ़ता हूँ जो विभाजन के संबंध में है ।

विभाजन की प्रक्रिया ''नियम 56 का उप नियम (1) किसी प्रस्ताव पर वाद-विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे कि जो प्रस्ताव के पक्ष में हो वे ''हाँ'' कहे और जो प्रस्ताव के विपक्ष में हो वे ''ना'' कहे । तब अध्यक्ष यह घोषित करेंगे कि उनकी राय में ''हाँ'' के पक्ष में बहुमत है या ''ना'' के पक्ष में ।''

''उप नियम-2: किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे परन्तु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग न करेंगे, जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष द्वारा यथाघोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत न दिया हो ।''

''उप नियम-3: विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष, यदि उनकी राय में विभाजन की मांग आवश्यक न हो तो, सचिव को तीन मिनट तक विभाजन की घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेश्मों में से सभावेश्म में आने के सभी द्वार बंद कर दिये जाएंगे । जब तक विभाजन समाप्त न हो जाय तब तक किन्हीं सदस्य को सभावेश्म के भीतर आने या उसके बाद बाहर न जाने दिया जाएगा ।''

''उप नियम-4: द्वार बन्द हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उप-नियम (2) में विहित रीति से फिर विभाजन की मांग की जाये तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष यह अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिया जायेगा । यथा सदस्यों को विभाजित होकर उपवेश्मों में जाने के लिए कहकर या मत गिनने के प्रयोजन से उन्हें अपने-अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहकर या अन्यथा किंतु दूसरी बार प्रश्न रखे जाने के समय जो सदस्य सदन में उपस्थित न रहे हों, वे मत देने के हकदार न होंगे । यदि अध्यक्ष ''हाँ'' वाले पक्ष वालों और ''ना'' पक्ष वालों को उपवेश्मों में जाने का निर्देश दें तो वे हर पक्ष के लिए दो या दो से अधिक गणक नियुक्त कर सकेंगे ।''

''उप नियम-5: जो सदस्य यथास्थिति यदि ''हाँ'' पक्ष में या ''ना'' पक्ष में अपना मौखिक मत दे चुके हों, उन्हें विभाजन होने पर विरुद्ध विचार वाले पक्ष के साथ मत देने की स्वतंत्रता न होगी ।''

''उप नियम-6: अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे ।''

''उप नियम-7: यदि सदन में विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद विभाजन सूचियों में कोई भूल दिखाई पड़े तो अध्यक्ष इस विषय में समाधान हो जाने पर ही कि भूल वास्तविक है उसे सुधारने का आदेश दे सकेंगे ।''

''उप नियम-8: अध्यक्ष सभा को विभाजित होने के लिए कहे, उसके पहले किसी समय किसी नकारात्मक आवाज के बिना दी गई सभा की अनुमति से विभाजन की मांग वापस ली जा सकेगी । ऐसा होने पर विभाजन न किया जा सकेगा और अध्यक्ष के जिस निर्णय पर आपत्ति की गई हो, वह बना रहेगा ।''

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आसन को अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 16 प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिनमें 11 प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा तथा 5 प्रस्ताव श्री अवध विहारी चौधरी के संबंध में प्राप्त हुये हैं, जो प्रस्ताव है उसे मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूँ ।

संख्या	प्रस्तावक का नाम	अनुमोदनकर्त्ता का नाम	प्रस्ताव
1	श्री नितिन नवीन स०वि०स०	श्रीमती अरूणा देवी स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
2	श्री संजय सरावगी स०वि०स०	श्री जय प्रकाश यादव स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
3	श्री विद्या सागर केशरी स०वि०स०	श्रीमती भागीरथी देवी स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
4	श्री रामप्रवेश राय स०वि०स०	श्री राम सिंह स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
5	श्री विनोद नारायण झा स०वि०स०	श्रीमती गायत्री देवी स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
6	श्री राणा रणधीर स०वि०स०	श्रीमती कविता देवी स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
7	श्री विजय कुमार मंडल स०वि०स०	श्रीमती निशा सिंह स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
8	श्री कृष्ण कुमार ऋषि स०वि०स०	श्री पवन कुमार यादव स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
9	श्रीमती स्वर्णा सिंह स०वि०स०	श्री मुसाफिर पासवान स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
10	श्री श्रवण कुमार स०वि०स०	श्री रत्नेश सादा स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
11	श्री अनिल कुमार स०वि०स०	श्री नरेन्द्र नारायण यादव स०वि०स०	श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० के पक्ष में ।
12	श्री अजीत शर्मा स०वि०स०	श्री महबूब आलम स०वि०स०	श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० के पक्ष में ।

13	श्री राम रतन सिंह स०वि०स०	श्री अजय कुमार स०वि०स०	श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० के पक्ष में ।
14	श्री अनिल कुमार साहनी स०वि०स०	श्री आलोक कुमार मेहता स०वि०स०	श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० के पक्ष में ।
15	श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, स०वि०स०	श्री समीर कुमार महासेठ स०वि०स०	श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० के पक्ष में ।
16	श्री कुमार सर्वजीत स०वि०स०	श्रीमती अनिता देवी स०वि०स०	श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० के पक्ष में ।

जितने प्रस्ताव है और उनके जो अनुमोदनकर्त्ता है सभी प्रस्तावक, अनुमोदनकर्त्ता, शपथ/प्रतिज्ञान कर लिये हैं और सभी प्रस्ताव अनुकूल हैं । यहां पर श्री नितिन नवीन, माननीय सदस्य जो प्रस्ताव दिये हैं उनको मैं बुलाता हूँ कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री नितिन नवीनः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० विधान सभा के अध्यक्ष के लिए चुने जायें ।

अध्यक्षः ठीक है, माननीय सदस्या श्रीमती अरूणा देवी ।

श्रीमती अरूणा देवीः महोदय, मैं श्री विजय कुमार सिन्हा, स०वि०स० को अध्यक्ष पद के लिए अनुमोदित करती हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्माः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री अवध विहारी चौधरी, स०वि०स० विधान सभा के अध्यक्ष चुने जायें ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री महबूब आलम साहब ।

श्री महबूब आलमः महोदय, मैं प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ ।

अध्यक्षः क्रमवार जो प्रस्ताव सर्वप्रथम है, उसे मैं सदन के सामने उपस्थित करता हूँ चूंकि श्री नितिन नवीन स०वि०स० से संबंधित प्रस्ताव आसन को पहले प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्हें मैं प्राथमिकता देता हूँ । यहां पर एक माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है उस संबंध में, मैं भी समझता हूँ कि यदि सर्वसम्मत चुनाव हो जाय तो ज्यादा अच्छा है । दोनों

तरफ से प्रस्ताव आये हैं, समर्थन भी आये हैं और अब चूंकि मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो इसके पहले सभा सदन से हम जानना चाहेंगे कि क्या अखतरूल ईमान साहब ने जो अपना प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पर विचार सदन करता है । निर्विरोध चुनाव हो इसके पक्ष में लोग हैं ?

टर्न–2/सत्येन्द्र–धिरेन्द्र/25.11.2020

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव का आपने जिक्र किया है । मैं माननीय सदस्य का सम्मान करता हूँ लेकिन परंपरा की उन्होंने बात की है । कुछ दिनों से सरकार की परंपरा अगर देखी जाए तो 4 साल में 4 सरकार हमलोगों ने देख लिया तो क्या इसको भी परंपरा के हिसाब से माना जाए । दूसरी बात पूरे बिहार ने ही नहीं पूरे देश ने देखा है कि किस प्रकार से जनादेश की चोरी की गई है और कोई एक बार नहीं, ये सरकार की फितरत हो गई है.....आप ही के प्रस्ताव पर हम...

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार के कार्यकाल से संबंधित नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः उसी पर आ रहा हूँ महोदय, आपने पूछा है तब जवाब दे रहा हूँ । जो पिछली सरकार रही महोदय वो भी चोर दरवाजे से आयी और इस बार की सरकार भी चोर दरवाजे से आयी ।

अध्यक्षः यह प्रश्न नहीं है । यह प्रस्ताव से संबंधित नहीं है । अब हमें भान हो गया है कि सर्वसम्मत चुनाव नहीं चाहते हैं इसलिए हम अब मतदान कराते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः मेरी बात को समाप्त हो जाने दीजिए, आपने पूछा है तब हम बता रहे हैं।

अध्यक्षः जिस बात की चर्चा हुई उससे इतर बात कर रहे हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः जहाँ तक अध्यक्ष पद की बात है ।

अध्यक्षः आपकी बात मैंने सुन लिया । अब हम चुनाव कराने की प्रक्रिया में आते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः हमारी अभी तक राय भी नहीं आयी है । हमारी पूरी बात तो सुन ली जाए ।

अध्यक्षः अप्रसांगिक बातें हो रही हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः हमारी बात तो पूरी सुन ली जाए ।

अध्यक्षः एक मिनट बैठिये, हमें भान हो गया है कि निर्विरोध चुनाव नहीं चाहते हैं इसलिए

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''श्री विजय कुमार सिन्हा, स0वि0स0 विधान सभा के अध्यक्ष चुने जाएं ।''

जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें । एक बार फिर मैं लेता हूँ ।

प्रश्न यह है कि

''श्री विजय कुमार सिन्हा, स0वि0स0 विधान सभा के अध्यक्ष चुने जाएं ।''

जो इसके पक्ष में हैं वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें । मैं समझता हूँ कि पक्ष में बहुमत है ...

श्री ललित कुमार यादव : पक्ष में बहुमत नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक बात है आपकी इस आपत्ति को, आप लोगों की बात को मैंने समझ लिया कि voice वोट से इसकी बात नहीं हो सकती । इसलिए हम अब कहना चाहते हैं कि जो हाँ के पक्ष में हैं वे खड़े हो जाएं और सचिव महोदय उसको गिनती करा लें । हाँ के पक्ष में जो हैं, खड़े हो जाएं ।

(व्यवधान)

एक मिनट, शायद घंटी बजाने का प्रोवीजन है। सचिव घंटी बजवायें ।

(व्यवधान)

हाँ, अभी बैठ जाइये, अभी बैठ जाइये । देखिए संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं भी गुप्त मतदान का प्रावधान नहीं है इसलिए गुप्त मतदान नहीं होगा । खड़े हो करके मतदान .. ... घंटी बजवाइये ।

(घंटी)

श्री भाई वीरेंद्र: अध्यक्ष महोदय, गुप्त मतदान होना चाहिए ।

अध्यक्ष: अच्छा, खड़े होकर पहले मतदान कर लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, जो एम.एल.सी हैं वे भी यहाँ बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष: वे मतदान में शामिल नहीं हैं ।

(व्यवधान)

नहीं-नहीं, उनकी बात को मैंने अमान्य किया । वे मतदान में शामिल नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, जो विधान सभा के सदस्य हैं वही मतदान में शामिल हो सकते हैं..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बात सही है वही भाग लेंगे । जो माननीय सदस्य चुने गए हैं बिहार विधान सभा के, चुनाव में वही भाग लेंगे ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल मे आ गये)

(व्यवधान)

दूसरे जो सदस्य नहीं हैं वे चुनाव में भाग नहीं लेंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप लोग अपनी सीट पर जायं और अपना आसन ग्रहण करें । वे सदस्य नहीं हैं माननीय मुख्यमंत्री हैं इस लिहाजा यहां पर रह सकते हैं । वे वोट में शामिल नहीं होंगे, वे मतदान में शामिल नहीं होंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य लोग आप अपना आसन ग्रहण करें, आपलोग अपने आसन पर जाएं । माननीय सदस्यगण, आप अपने आसन पर जाएं ।

(व्यवधान)

आप लोग आसन पर जाएं ताकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए । आसन ग्रहण करें आप लोग । अनुरोध है आप लोगों से आसन ग्रहण करें । कई माननीय सदस्य जो बिहार विधान सभा के नहीं हैं वे मतदान में शामिल नहीं होंगे । वे मतदान में शामिल नहीं होंगे ।

(व्यवधान)

मैं पुन: अनुरोध करता हूँ माननीय सदस्य से कि अपने आसन पर जायं । अपने आसन पर जायं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप लोगों से अनुरोध है कि आसन ग्रहण करें और चुनाव की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके अनुरूप कार्य करें और सुन लीजिए, यह कहना गलत है, जो माननीय मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं वे सदन के नेता हैं, सदन के नेता के रूप में बैठे हुए हैं । मतदान में वे शामिल नहीं होंगे लेकिन सदन के नेता हैं इसलिए उनका बैठना कोई अनियमित नहीं है ।

(व्यवधान)

एक मिनट शांत रहिए । आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ हम भी 40 साल से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया और संचालन को देख रहे हैं । ऐसा बहुत बार आया है कि

जिस समय कभी-कभी कुछ मतदान या कुछ विभेद हुए हैं मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं वे वोट नहीं करते हैं लेकिन रहते हैं इसलिए कि वे सभा के नेता हैं ।

(व्यवधान)

आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपने आसन पर जाएं और जो वर्तमान परिस्थिति आपने बताई है उस संबंध में हम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से, संसदीय कार्य मंत्री से हम चाहेंगे कि इस पर क्या नियम है, क्या किया जा सकता है ? माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, माननीय मंत्री संसदीय कार्य आप अपना मंतव्य दीजिए ।

(व्यवधान)

सुन लीजिए, सुन लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर सभी पुराने सदस्य हैं । अध्यक्ष महोदय, ये सदन की परंपरा रही है और आये दिन ऐसा होता रहा है । इसमें तो कोई नई बात है नहीं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: पहले सुनिये तो, आप लोग शांत रहिये । सुन लीजिए संसदीय कार्य मंत्री की बात को, नियमन को सुन लीजिए । उनका क्या कहना है ? माननीय संसदीय कार्यमंत्री बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए आप ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर जब भी सदन में मतदान कार्य होता है तो जो दूसरे सदन के भी सदस्य रहते हैं वे रहते हैं, सिर्फ मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं और माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता हैं । ये तो उनका अधिकार है कि सदन में उपस्थित रहेंगे, केवल मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे । यह तो निरर्थक आपत्ति है । अध्यक्ष महोदय, इसलिए माननीय सदस्यगण से हम अनुरोध करते हैं कि जो आज की कार्य-सूची में निर्धारित प्रक्रिया है उसको पूरा होने दें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री की बात को आप लोग सुन लीजिए । उसके बाद आप लोगों की बात को हमलोग देखेंगे । अब संसदीय कार्य मंत्री कुछ बतला रहे हैं इस संबंध में नियम, प्रक्रिया । उनकी बात सुन लिया जाय कि वे क्या कहते हैं । ये तो आपका पक्ष हमने सुना, सत्ता पक्ष की, विपक्ष की बात को भी हमको सुन लेने दीजिए । उसके बाद हम नियमन देंगे ।

(व्यवधान)

सदन नेता हैं सदस्य नहीं हैं वे भाग नहीं लेंगे, वे मतदान में भाग नहीं लेंगे । उपस्थिति में कोई हम नहीं समझते हैं कि बाध्यता है ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह तो स्थापित परंपरा रही है कि अनेक अवसरों पर मतदान होते हैं तो जो सदन के सदस्य नहीं होते हैं मतदान नहीं करते हैं । यह तो निरर्थक बात है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप लोग अपना आसन ग्रहण करें, हम अपनी बात कहेंगे । आप लोग आसन ग्रहण कीजिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने अपने स्थान पर लौट आये)

टर्न–3/मधुप–यानपति/25.11.2020

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हम आपकी बात नहीं सुन पाए । आप क्या कहना चाह रहे थे ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की स्थापित परम्परा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री तो सदन नेता होते हैं, उनको सदन में उपस्थित होने का संवैधानिक अधिकार हमेशा के लिए है जिस भी क्षण चाहें, वह उनका अधिकार होता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिए । उसके बाद अपनी बात कहिएगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : दूसरी बात, हमारे विपक्ष के भी कई वरीय सम्मानित सदस्य हैं जो लगातार न जाने कितने समय से इस सदन के सदस्य हैं, वे लोग खुद साक्षी रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बात छोड़िये, माननीय मंत्रीगण भी जो दूसरे सदन के सदस्य होते हैं, जब कभी भी..... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वे सदन में उपस्थित होते हैं । (व्यवधान) तेजस्वी जी, एक मिनट, हम पूरी बात कह लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, केवल जब मतदान प्रक्रिया में खड़े होने की बात होती है, जब मतदान की प्रक्रिया होती है, जब आप कहते हैं कि खड़े हो जाइये, तो जो सदस्य नहीं होते हैं वे नहीं खड़े होते हैं । यह तो स्थापित प्रक्रिया है ।

इसलिए इस बात को निरर्थक आगे नहीं बढ़ाया जाय और अध्यक्ष महोदय, मतदान की प्रक्रिया पूरी करायी जाय ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, आप बार-बार नियमावली का जिक्र कर रहे हैं, कहीं भी नियमावली में लिखा है कि दूसरे सदन के सदस्य मतदान के दौरान उपस्थित रहेंगे ? कहीं भी लिखा है ? कहीं भी क्या देश के किसी एसेम्बली में ऐसी कोई घटना हुई है ? मुकेश सहनी जी तो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, अशोक चौधरी जी भी नहीं हैं सदस्य, न एम0एल0सी0 हैं और न एम0एल0ए0 हैं ।

अब ध्वनिमत भी हो गया महोदय ? यह तो सारा रिकॉर्डिंग है, फुटेज है । हमने तो शुरू में कहा कि जनादेश की चोरी हुई, यह तो आपके सामने, आसन के सामने चोरी हो रही है । यह तो आपका दायित्व है महोदय कि नियमावली के हिसाब से सदन चलना चाहिए । पूरा देश देख रहा है, यह खुलेआम चोरी हो रही है । जबतक दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जायेंगे तो यह तो बेईमानी है । इससे अच्छा है, परम्परा की बात कर रहे हैं आप, जो नियमावली की बात कर रहे हैं तो यह सब फाड़कर फेंक दीजिए, हमलोग चले जाते हैं बाहर, हमलोगों को सदस्य क्यों बनाया ? चले जाते हैं हमलोग बाहर। इस तरह से हाउस चलेगा ? यह बेईमानी है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह अपने देश के संसदीय प्रजातंत्र की स्थापित मान्यता है, नेता प्रतिपक्ष महोदय से लेकर जितने वरिष्ठ सदस्य हैं, सबको याद होगा कि लोक सभा में भी, संसद में भी जब डॉ0 मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री थे, जब भी लोक सभा में मतदान होता था वे उपस्थित रहते थे, वोट नहीं देते थे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : यह चुनाव का समय है । (व्यवधान) अभी विजय चौधरी जी जिक्र कर रहे थे, इनका हम पूरा सम्मान करते हैं, इनकी मजबूरी को भी हम समझते हैं, हमलोग सबलोग जान रहे हैं आपकी मजबूरी लेकिन महोदय, हम खुद गवाह हैं जब कई बार मतदान हुआ था, डिवीजन जब हुआ था पिछले सत्र में तो मुख्यमंत्री जी खुद बाहर गये थे, वह रिकॉर्डिंग होगा, हम रिकॉर्डिंग दिखलवायेंगे, रिकॉर्डिंग है मेरे पास ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : नहीं होंगे तो उसकी कोई बात नहीं है । उनके रहने को कोई नकार नहीं सकता है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव : सचिव महोदय बतायें नियम अगर कहीं है । (व्यवधान) यह तो सब जानते हैं कि जो सदन के नेता होते हैं, जब वोट नहीं होता है तो कहीं भी बैठ सकते हैं, मंत्री कहीं भी बैठ सकते हैं जब वोट नहीं होगा लेकिन जब वोट होगा तो वे सदन के अंदर नहीं बैठ सकते हैं ।

श्री महबूब आलम : महोदय.....महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक-एक करके बोलिए, सबकी बात सुनने को तैयार हैं, एक-एक करके बोलिए न ।

श्री महबूब आलम : महोदय, संस्कृति और परम्परा का नाम लेकर लोकतंत्र के नियमों की हत्या की इजाजत नहीं दी जा सकती है ।

अध्यक्ष : देखिये आप सबों की बात को हमने सुनने का काम किया है और मैं मानता हूँ कि मंत्री बहैसियत या मुख्यमंत्री बहैसियत नेता के रूप में अगर यहाँ उपस्थित हैं तो यह अन्यथा नहीं है, वे मतदान में भाग नहीं लेंगे और इसमें मतदान में आपलोग शामिल होइये ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं, उनकी बात को सुनिए ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सबों की बात को सुनिए । संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात को सुनिए आप । जरा शांत रहिए । सुनिए न । सबपर विचार किया जायेगा । दोनों तरफ की बात सुनकर ही न नियमन दिया जायेगा । इसलिए जरा उनकी बात को सुनने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब आपका नियमन हो गया तब अब आगे तो मतदान की कार्यवाही होनी चाहिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण वेल में आसन के समीप बैठ गए)

अध्यक्ष : आपलोग अपने आसन पर जायं । हम अपनी तरफ से जो संवैधानिक प्रक्रिया है और विहित प्रक्रिया है उसके तहत जो माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, मैं इसको अन्यथा या किसी प्रकार की बात नहीं मानते हुए आपलोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप आसन पर जायं ताकि हम चुनाव की प्रक्रिया को शुरू करें । आपलोग जाकर अपने आसन पर बैठें और मतदान की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे । (व्यवधान) वे मतदान में भाग नहीं लेंगे, उपस्थिति मात्र से नहीं कहा जा सकता है, वे कोई आम आदमी नहीं हैं, वे मंत्रीगण हैं, मंत्रीगण रहते हैं, बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि वोट के समय मंत्रीगण रहते हैं जो दूसरे सदन के हैं, वे वोट में शामिल नहीं होते हैं लेकिन उपस्थित रहते हैं इसलिए अब हम मतदान की प्रक्रिया को अपनाते हैं ।

माननीय सदस्यगण, मतदान की प्रक्रिया में मैं पुनः प्रस्ताव करता हूँ -

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''श्री विजय कुमार सिन्हा, स0वि0स0 विधान सभा के अध्यक्ष चुने जायं ।''

जो 'हॉ' के पक्ष में हैं, खड़े होकर अपना मतदान करें ।

गिनती करवाई जाय ।

(व्यवधान जारी)

आप देख लीजिए न । कोई अन्यथा नहीं हैं । उनलोगों की उपस्थिति अन्यथा नहीं है । अगर अन्यथा की बात होगी तो आपलोग बाहर जाकर देखिएगा । कोई अन्यथा नहीं है । मतदान की प्रक्रिया में 'हॉ' के पक्ष में लोग खड़े हैं, खड़े होकर मतदान का जो परिणाम आयेगा, उसके बाद हम आपलोग को पुकारेंगे । (व्यवधान) कोई अन्यथा नहीं है । आपलोग जाइये अपनी सीट पर बैठिए । अपने आसन पर जाकर आप सब बैठिए । (व्यवधान) उससे क्या दिक्कत होती है ? इससे स्पष्ट होता है कि आपलोगों में कहीं कमजोरी है इसलिए हल्ला कर रहे हैं, कोई कानूनी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

हम सहमत हैं कोई कानूनी बात इसमें नहीं है, कोई बाहरी सदस्य नहीं हैं और अगर हैं तो वोट में भाग नहीं लेंगे । जो खड़े हैं, उन्हीं के मत की गणना की जायेगी । आपलोग आसन पर जाकर बैठिए । सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब बातें हों ।

(व्यवधान)

नम्बर आ जाता है तो आपलोगों को भान हो जाएगा कि क्या स्थिति यहॉ की है । आपलोग आसन पर बैठ जाइये । चुनाव हो जाने के बाद भी बहुत प्रक्रियाएँ होती हैं। वह प्रक्रिया आपलोग अपनायेंगे ।

(व्यवधान)

वे मंत्री हैं, नेता हैं, उनको बैठने में कोई दिक्कत नहीं है । उनके बैठने से कोई दिक्कत नहीं है, यह परम्परा रही है । हमलोग बहुत मीटिंग में देखे हैं । आपलोग आसन पर बैठिए और आसन पर जाकर, अगर आपका बहुमत है तो आप बहुमत साबित कीजिए। हॉ, यह कह सकते हैं कि खड़े होकर जो अपना मतदान करा रहे हैं तो उसमें वे लोग नहीं जायेंगे, जो बाहरी सदस्य हैं उसमें नहीं जायेंगे । वे खड़े नहीं होंगे, वे मतदान में भाग नहीं लेंगे । सरकार के अंग हैं, वे रहेंगे । यह हर वक्त रहा है ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग आसन पर बैठिएगा तभी न मतदान होगा । मान लीजिए, हॉ पक्ष का आ रहा है, आपलोग बैठिइयेगा तब न आपलोगों को मतदान का परिणाम पता होगा । (व्यवधान)

चक्कर नहीं है । आपसे मैंने पहले कहा कि हमलोग जानते हैं, मतदान में वे भाग नहीं लेंगे लेकिन उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है । (व्यवधान) नियमावली को देखे हैं हमलोग, पढ़े हैं, पढ़ाया गया है ।

आप अपने सदस्यों को ले जाइये सीट पर और सीट पर जाने के बाद, सीट पर जाकर अपना वोट दीजिए, आप खड़ा होकर गिनाइये कि आप कितने हैं, आपकी बहुमत होगी तो आपके पक्ष में निर्णय जायेगा ।

(व्यवधान)

इसमें क्या रखा हुआ है कोई खास ? सिर्फ एक प्वायंट पर आपलोग अड़े हुए हैं । तार्किक बात कुछ नहीं है, तार्किक बात तो यह है कि अगर आप मेजोरिटी में हैं तो बैठ जाइये अपने आसन पर, हम खड़ा होकर वोट देने की बात करेंगे, आप वोट दीजिए । आपके पक्ष में डिक्लेयर करेंगे अगर आपका बहुमत होगा तो । यह कौन बड़ी बात है ।

(व्यवधान)

यह लोकतंत्र की हत्या नहीं है । लोकतंत्र का मखौल यही है कि वोटिंग में आप शामिल नहीं हो रहे हैं । आप आवाज से जनमत को दिखलाना चाहते हैं । (व्यवधान) परम्परा से चलता है, बहुत बार यह देखा गया है कि लोग रहते हैं और उनके रहने मात्र से आपको क्या दिक्कत है ? अभी भी कह रहे हैं कि आपलोग अपने आसन पर जाइये और आसन पर जाकर आप बताइये कि आप 'ना' चाहते हैं कि 'हॉ' चाहते हैं। आप 'ना' चाहते हैं, आपके पक्ष में बहुमत होगा तो हम आपके ही पक्ष में निर्णय लेंगे ।

(व्यवधान)

घंटी बजाने के बाद एडजॉर्न नहीं होता है । (व्यवधान) घंटी बज जाने के बाद जब वोटिंग की प्रक्रिया होती है उस समय एडजॉर्न होता है ? एडजॉर्न नहीं होता है उस समय । हम पूछ लेते हैं । (व्यवधान) घंटी बजने के बाद एडजॉर्न होता है ? हम पूछ लेते हैं ।

(व्यवधान)

अभी भी हम आपलोगों से अनुरोध करते हैं कि आसन पर जाइये और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत यही मान्य है कि जब 'हॉ' पक्ष के लिए हमलोगों ने खड़े होने की बात की और खड़े होकर जो मतदान किये हैं उसकी गिनती आ गई है । आपलोग भी अपनी सीट पर चले जाइये और 'ना' के पक्ष में हम पुकारेंगे, आपलोग खड़े होकर अपनी बात कीजिएगा ।

(व्यवधान)

घंटी बज जाने और काउंटिंग हो जाने के बाद फिर एडजॉर्नमेंट का कोई सवाल नहीं है । यह पहले की बात थी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अच्छा, एक बात है । हम आपलोगों की बात मानते हुए 5 मिनट के लिए हाउस एडजॉर्न करते हैं, 5 मिनट के लिए ।

(स्थगन)

टर्न–4/शंभु–राहुल/25.11.2020

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री अजीत शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय अटेन्डेन्स रजिस्टर जारी किया जाय । हम लोगों का भी और उनका भी । हमको लगता है कि कुछ लोग माननीय विधायक के अलावा भी बैठे हैं इसकी जांच भी आपको कर लेनी चाहिए और दूसरा, गुप्त मतदान कराइये तभी इसका न्याय होगा । मैं आग्रह करता हूं गुप्त मतदान के लिए ।

अध्यक्षः नहीं, यहां पर कोई बाहरी सदस्य नहीं है और जहां गुप्त मतदान का सवाल है तो कोई कहीं संवैधानिक प्रक्रिया ऐसी नहीं है जहां पर गुप्त मतदान होता है । आप लोगों की बात को मानते हुए एडजॉर्न किया और गिनती हो गई । आप रूकिए न, सारी बात हम सुन रहे हैं और एक बार गिनती हो चुकी है, बावजूद उसके हम प्रस्ताव लेते हैं कि जो हां के पक्ष में हैं विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष चुने जाने के पक्ष में, एक बार फिर खड़े होकर के अपनी गिनती करा लीजिए...

(व्यवधान)

आप गिनती होने दीजिए, उसके बाद में आपकी बात सुनेंगे ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः गिनती की प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी, जब बाहर गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों बैठे हैं ?

अध्यक्षः नहीं, यहां पर आप जानकार हो जाइये, मैं बताना चाहता हूं आप मेरी बात भी सुनिए माननीय मुख्यमंत्री सदन नेता होते हैं और जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री ही इस कुर्सी पर उनको बैठाएंगे इस लिहाजा माननीय मुख्यमंत्री का रहना अन्यथा नहीं है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः चुनाव के समय महोदय, चुनाव के समय ।

अध्यक्षः आप सब बैठिए । सर्वसम्मति लोग चाह ही नहीं रहे हम तो आप ही के प्रस्ताव के आलोक में सर्वसम्मति का प्रस्ताव ही दिए हैं और फिर आप ही के कहने पर जो नहीं होना चाहिए था एडजॉर्नमेंट किया । अब उसके बाद जो माननीय सदस्य लोग थे मंत्री थे अब वे नहीं हैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री वहां रहेंगे और जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तब माननीय मुख्यमंत्री ही परंपरा के अनुसार यहां कुर्सी पर उनको बैठाएंगे इसीलिए उनका रहना जरूरी है...

(व्यवधान)

पहले प्रक्रिया जो हो रही है उसे होने दीजिए, उसके बाद में उसकी बात आती है । अब हां पक्ष वाले लोग बैठ जाएं और अब जो इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं, यानी विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष चुने नहीं जाए इस पक्ष में जो हैं वे खड़े हो जाएं । ना के पक्ष में माननीय सदस्य खड़े हो जाएं । आप लोग खड़े हैं गिनती कर लीजिए भाई गिनती कीजिए । जो खड़े हैं उनको गिनती कीजिए । आप लोगों की बात मानी गई है ललित बाबू । कुछ आसन की बात को भी आप लोग मानिए । आपकी बात मान ली गई है उसी के अनुसार प्रक्रिया चल रही है अब आसन की बात को मानते हुए जब मत और बहुमत की बात है तो बहुमत साबित कीजिए । इसी के लिए खड़े हैं तो गिनती करा लीजिए...

(व्यवधान)

आप कभी प्रोक्सी करते हैं क्या ? नहीं न । सभी माननीय सदस्य लोग हैं कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं है यहां सभी माननीय सदस्य लोग ही हैं । इसी सदन में ये भी बात देखी गई है कि जब माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी तब पार्लियामेंट के मेंबर थे माननीय लालू जी, वो भी उपस्थित थे ये भी देखा गया है यहां । आप लोगों की मांग के अनुसार ही काम किया है और ये संवैधानिक बात है कि खड़े होकर मतदान आप लोगों ने किया खड़े होकर मतदान हां पक्ष वालों ने किया,

अब रिजल्ट आता है तब फलाफल सुनाएंगे हम लोग । गुप्त मतदान की संवैधानिक प्रक्रिया में कहीं कोई जगह नहीं है इसलिए गुप्त मतदान नहीं होगा ।

(व्यवधान)

अच्छा पहले इसका रिजल्ट आने दीजिए न । उसके बाद देखते हैं ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः मत विभाजन हो जाना चाहिए । आप सब लोगों के संरक्षण में । आप पूछ लीजिए मत विभाजन से कोई आपत्ति है तो पूछा जाय उनसे महोदय । आप पूछ सकते हैं उनसे महोदय...

(व्यवधान)

अभी तक किसी को आपत्ति नहीं है मत विभाजन से और जब आपत्ति नहीं है तो मत विभाजन हो जाना चाहिए । इसमें समय व्यर्थ न करके मत विभाजन कराया जाय जो परिणाम होगा घोषित किया जाय ।

अध्यक्षः इस संबंध में यह बात है कि चूंकि यह विशेष परिस्थिति है विशेष परिस्थिति में जो सेन्ट्रल हॉल में हो रहा है और इसके चलते विभक्त होकर के वोट देने में दिक्कत है, वो पुराने असेंबली हाउस में ऐसा हो सकता था यहां पर दिक्कत है, उन दिक्कतों को देखते हुए ।

श्री ललित कुमार यादवः हमें इसमें संदेह है अध्यक्ष महोदय, गुप्त मतदान कराया जाय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण कुछ कहते हुए वेल में आ गये)

अध्यक्षः उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ललित जी । गुप्त मतदान कहां होगा, कैसे होगा, सो बताइए । रिजल्ट आने दीजिए । उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद हम अपना नियमन देंगे...

(व्यवधान)

नहीं, गुप्त मतदान की कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है । गुप्त मतदान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ।

अध्यक्ष: आपकी बात मान ली गई है, सब बात आपकी मानी जाय ये कहां की बात है । पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा तो हम विचार करेंगे । आप लोग आसन पर बैठिए । रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ बोलिएगा अगर उससे आप सहमत नहीं होंगे तो आगे की बात सोची जाएगी इसलिए खड़े होकर आप लोगों ने जो हां और ना में वोट दिया है उसका रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन होगा तो हम लोग विचार करेंगे...

(व्यवधान)

वोटिंग तो हो ही गया है । आप ही की तो बात हम करवा दिए । आपकी सभी बात मान ली जाय ये कहां की बात है । अच्छा आप लोग अपने आसन पर जाएं और अपने आसन पर जाकर के बैठें और उसके बाद जो अभी रिजल्ट आया है आपको मैं सुनाऊगां उसके बाद आपकी आपत्ति को हम लोग बताएंगे । आप लोगों की बात मान ली गई है अब आप लोग आसन पर जाएं । आप लोगों की बात को मानकर नई परंपरा हम लोगों ने चालू की एडजॉर्नमेंट नहीं होना चाहिए था लेकिन आप लोगों की आस और संविधान की मर्यादा को देखते हुए किया । हम पुन: कहते हैं कि आप आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य सब आसन ग्रहण करें । आप सब लोग खुश हैं कोई दुखी नहीं है अपना काम होते रहेगा । पुन: मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग आसन ग्रहण कीजिए ।

टर्न-5/ज्योति-हेमंत

25-11-2020

अध्यक्ष : खड़े होकर वोट देने की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है । इस प्रक्रिया का फलाफल जानने के बाद आप लोगों की बात सुनेंगे । पहले आप लोग आसन पर बैठिये फिर कोई बातचीत होगी ।

(व्यवधान)

आप लोगों से अनुरोध है कि आप आसन ग्रहण कीजिये । आसन पर जाकर अपनी बात को कहेंगे फिर हम लोग विचार करेंगे । आसन से बाहर कोई बात कीजियेगा उसको नहीं सुनेंगे । आसन पर जाकर अपनी बात कहें तब सुनेंगे ।

(व्यवधान)

आसन आपलोग ग्रहण कीजिये, आसन पर जाईये तब अपनी बात कहियेगा उसपर विचार करेंगे । आसन पर नहीं जाकर सिर्फ अपनी बात कहियेगा उस बात की तरजीह नहीं होगी इसलिए पहले आसन पर जाईये आपलोग और वहां जाकर अपनी बात को कहिये ।

(व्यवधान)

खड़े होकर मतदान का फल निम्न प्रकार है :

‘‘ हॉ ’’ के पक्ष में 126

‘‘ ना ’’ के पक्ष में 114

इसलिए श्री विजय कुमार सिन्हा, स0वि0स0 अध्यक्ष निर्वाचित हो गए । यह मैं घोषणा करता हूं कि श्री विजय कुमार सिन्हा,स0वि0स0 बिहार विधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए । अब माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी को आसन पर लाने की कृपा करें ।

(इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा अध्यक्ष महोदय को आसन तक लाया गया एवं माननीय अध्यक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्यगण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तार किशोर प्रसाद जी, माननीया उप मुख्य मंत्री श्रीमती रेणु जी, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी, माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी, माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान साहब, माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह जी, माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी आप सभी का इस पावन पीठ तक मुझे पहुंचाने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेतागण एवं सम्पूर्ण सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । अब माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे ।

टर्न-6/राजेश-अभिनीत/25.11.2020

श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री: माननीय नव निर्वाचित अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूँ और सभी माननीय सदस्यों को खासतौर पर बधाई देता हूँ । अध्यक्ष की भूमिका बहुत ही निष्पक्ष होती है और आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष सब की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर, जो भी नियम हैं उस नियम के मुताबिक कार्यों का संचालन करना चाहिये । आपका एक माननीय सदस्य के रूप में अनुभव रहा है और आप मंत्री भी रहे हैं । हम सबलोगों को पूरी आशा है कि विधान सभा अध्यक्ष के रूप में भी आप अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाएंगे और यही हम सबलोगों की अपेक्षा है । मैं सभी माननीय सदस्य से यही आग्रह करूँगा

कि सभी लोग जो सदन की कार्यवाही के नियम हैं सबलोगों को उसका पालन करते हुए अपनी बात को रखनी चाहिये । सबलोगों को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और अध्यक्ष महोदय को नियमों के मुताबिक सदन के संचालन का अधिकार है ।

मुझे पूरा भरोसा है कि यह जो निर्वाचन हुआ, नई विधान सभा गठित हुई है, उसके बाद आपने अध्यक्ष पद को संभाल लिया है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे कार्यकाल में बहुत ही अच्छे ढंग से इसका निष्पादन होगा । सदन की कार्यवाही भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से संचालित होगी । मैं यही सबलोगों से आग्रह करूँगा और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ और सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्रीः सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आप बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में नव निर्वाचित हुए हैं और आसन को ग्रहण किया है । बिहार लोकतंत्र का पहला राज्य है और बिहार से लोकतंत्र ने पूरे विश्व में अपना प्रभाव छोड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी नियमावली रही है, जो हमारी परंपरा रही है सदन की उसके अनुसार आपकी अध्यक्षता में सदन बेहतर ढंग से चलेगा और उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोगों की जो अपेक्षा और आकांक्षाएं हैं वह इस सदन में समय-समय पर परिलक्षित होगा । आप उसको संरक्षण देंगे और लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है सबकी बातों को सुनकर जो सदन की नियमावली है या जो परंपरा है उसके अनुसार सदन को चलाने में आप सफल होंगे और मैं इस सदन के तमाम सदस्यों से भी निवेदन करता हूँ कि सदन कैसे बेहतर ढंग से चले, जो जनभावनाएं हैं वह इस सदन के द्वारा कहीं-न-कहीं परिलक्षित है उसमें समान रूप से इस आसन को हम सब सहयोग करेंगे ।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपको बधाई देते हुए यह जो आगामी पाँच वर्ष हैं, यह पाँच वर्ष कहीं न कहीं एक बेहतर सदन की कार्यवाही के रूप में जाना जाय । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद । वंदेमातरम् ।

अध्यक्षः माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी ।

श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देती हूँ और सहृदय मैं अपने सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ कि उन जैसा सहृदय आज की परंपरा में अच्छे ढंग से उन्होंने आपको अध्यक्ष के रूप में चुना है । निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सभी पक्ष-विपक्ष को देखते हुए अपनी जो कार्य नियमावली है उसके तहत अच्छे ढंग से, पूरे बिहार का जो नजरिया है इस विधान सभा के ऊपर हम सभी का दायित्व है चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो अपनी नियमावली के साथ चलते हुए और बिहार के विकास पर हम सब साथ मिलकर चलेंगे और नियमावली के अनुरूप आप सब खड़ा उतरेंगे । अध्यक्ष महोदय, हम सभी लोग आपको सहृदय धन्यवाद करते हैं, आपका अभिनन्दन करते हैं । जय हिन्द ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी आपको बधाई देता हूँ । आप पुराने सदस्य हैं और वाकिफ हैं कि अध्यक्ष की भूमिका गुरूत्तर होती है । हमलोगों को सरकार की तरफ से पूरा भरोसा है कि आप अपनी इस जिम्मेवारी के निर्वहन में पूर्ण सफल होंगे । सरकार की तरफ से सदन के सफल संचालन में हमलोगों का पूरा सहयोग रहेगा । क्योंकि सरकार का मानना है कि जब तक सदन में सार्थक विमर्श नहीं होते तब तक सदन से कोई अर्थपूर्ण नतीजा नहीं निकल पाता । आप अनुभवी हैं, सदन चलायेंगे और हम सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी सरकार की तरफ से अनुरोध करते हैं कि सरकार हमेशा हमारे नये अध्यक्ष के नेतृत्व में जो भी जनहित के मुद्दे हों, जिन पर सकारात्मक विमर्श करके उनका कोई तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है सरकार हमेशा तैयार रहेगी, क्योंकि

जब तक जनता के मुद्दों पर सार्थक विमर्श नहीं होगा हम उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पायेंगे और तब तक इस सदन की पूर्ण प्रासंगिता हम स्थापित नहीं कर पायेंगे ।

इसलिए मैं आपको फिर से एक बार बधाई देते हुए सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ कि सरकार की तरफ से चाहे माननीय सदस्य जो भी जनहित के मुद्दे उठायेंगे हम उन पर सार्थक विमर्श कर उनके निराकरण का पूरा प्रयास करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको अध्यक्ष बनने पर बधाई देता हूँ । सभी सदस्यों का और खासतौर पर अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ कि आप अध्यक्ष बने । अभी सभी लोगों ने अपनी-अपनी बातों को रखा और सबलोगों ने एक बात स्पष्ट यह कहा कि आसन जो है बिना भेद-भाव के सत्ता और विपक्ष को साथ लेकर के चलना होता है, निष्पक्ष होना होता है । सबका संरक्षण आपको करना है और बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता । सदन में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और बिहार के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, जनहित के लिए हम सब यहां चुनकर आये हैं और हम सबका दायित्व है कि संविधान को मानते हुए, नियमावली को मानते हुए जनता के जो प्रश्न हैं उसका समाधान हम सबलोगों को मिलकर करना है चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो । विपक्ष को माना जाता है कि लोकतंत्र में वह सत्ता का ही पक्ष होता है । हमलोग कोई अलग नहीं हैं, मतभेद होते रहते हैं और चलता रहेगा । आप जानते हैं महोदय कि बिहार लोकतंत्र की जननी है । उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम वैशाली से जीत कर आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है, लेकिन आज और इन दिनों यह देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सत्य को दबाया जा रहा है और छिपाया जा रहा है । हम चाहेंगे कि.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः शांति बनाये रखें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः महोदय, हमलोग यह चाहेंगे कि आप आसन के जरिए संविधान का संरक्षण करें, लोकतंत्र को बचायें और सत्य का साथ दें । हम तो बस इतना ही चाहते हैं और यह होना भी चाहिये । हम क्या यहां बैठे हुए जितने सदस्य हैं किसी को संविधान से दिक्कत नहीं होनी चाहिये, लोकतंत्र से दिक्कत नहीं होनी चाहिये । पता नहीं ये आवाजें क्यों उठ रही हैं, हमलोग कोई गलत बात तो नहीं कर रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करो, लोकतंत्र की रक्षा करो । हम तो उस जिले से आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है वैशाली, लेकिन आज हम सबलोगों के सामने जो चुनौती है इससे हमलोग इंकार नहीं कर सकते । सत्य को कितना भी दबाया जाय, छुपाया जाय देर-सबेर वह निकल कर सामने आता ही है, लेकिन हम सब लोग मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते । आप आज आसन पर विराजमान हैं, आप संरक्षक हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः कृपया शांति बनाये रखें, सुनें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय, अब आप आसन पर हैं और अब मेरा संरक्षण भी आप ही को करना पड़ेगा । हम जो बात कह रहे हैं, हमको तो ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहिये था, लेकिन हम चुप भी कैसे रहें, झूठ और असत्य का साथ हम नहीं दे सकते महोदय । हमको साफ तौर पर चुनाव की पक्रिया हुई और अब हम सबलोगों ने स्वीकार कर लिया है चाहे जैसे भी पक्रिया हुई हो, हम सबलोगों ने जनादेश को स्वीकार किया है । चाहे जैसे भी जनता ने अपना जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया, हम सबलोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि हमलोग मर्यादा में रहने वाले लोग हैं इसलिए हमलोग उस पर ज्यादा टीका-टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में रहने वाले लोगों को इतना एहसास होना चाहिये कि नियम-कायदा का कम-से-कम

माखौल नहीं उड़ाना चाहिये । महोदय, इसके संरक्षक आप हैं और हम सबलोग पूरे विपक्ष की तरफ से अपने राघोपुर की तरफ से हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप संविधान, लोकतंत्र तथा हमारी जो विधान सभा की नियमावली है और जो देश का संविधान है उसकी आप रक्षा करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय बिहार जय हिन्द ।

अध्यक्ष: धन्यवाद । अब माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी ।

श्री अजीत शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके अध्यक्ष चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से तथा कांग्रेस विधान मंडल के सभी माननीय विधायकों की तरफ से आपको बधाई देता हूँ और अध्यक्ष पद जो आपने ग्रहण किया है यह अभिभावक के तौर पर किया है। आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान नजरों से देखेंगे यह मैं पूरा विश्वास रखता हूँ । मेरे कांग्रेस विधान मंडल के सभी माननीय विधायक आपके आसन को, आपके अध्यक्ष पद को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर हमलोग जब खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे, उनकी आवाज बनेंगे तो आप भी हमलोगों को संरक्षण देने का काम करेंगे । इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से आपको कांग्रेस विधान मंडल की तरफ से बहुत-बहुत बधाई । बहुत-बहुत शुभकामनाएं ।

अध्यक्ष: धन्यवाद । अब माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको अध्यक्ष पद का आसन ग्रहण करने पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी भाकपा-माले तथा अपने वामपंथी दल सी0पी0आई0 और सी0पी0एम0 की ओर से बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ।

टर्न-7/सत्येन्द्र-सूरज/25-11-20

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके अध्यक्ष पद का आसन ग्रहण करने पर अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी भाकपा माले एवं अपने वामपंथी दल

सी0पी0आई0, सी0पी0एम0 की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ । महोदय, आप अध्यक्ष हैं इस सदन में लोकतंत्र जो संविधान ने दिया महोदय, उसके संरक्षक हैं और महोदय, हमलोगों ने जो आज मांग की थी वो गैर लोकतांत्रिक मांग नहीं थी महोदय, लेकिन फिर भी बड़े-बड़े विद्वान हमारे सदस्यों ने संस्कृति और लोकतंत्र की दुहाई देकर, परंपरा की दुहाई देकर हमारी मांग को मनमाने तरीके से खारिज कर दिया । महोदय, आप गवाह हैं और यह सदन भी गवाह है कि हमसे सर्वसम्मत अध्यक्ष चुने जाने की भी मांग नहीं की गई । फिर भी महोदय, सुना जाय महोदय । महोदय, सुना जाय महोदय ।

अध्यक्षः शांति बनाए रखें, सुनें माननीय सदस्य का ।

श्री महबूब आलम : तो ये संसदीय परंपरा और लोकतंत्र व संविधान की एक हत्या हुई, महोदय मैं मानता हूं यह बिहार विधान सभा में पहली बार अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीच में ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा । ये कोई मामूली घटना नहीं है महोदय । हम मानते हैं महोदय कि संसदीय परंपरा के साथ नैतिकता का भी सवाल होना चाहिए । नैतिकता और गरिमा का उल्लंघन करके हम अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं कर सकते । महोदय, फिर भी जो घटना घटी यह एक शर्मनाक घटना है, इसके बावजूद भी आपने जो आसन ग्रहण किया, महोदय मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि हम प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग और हम जैसे वामपंथी जमीन से जुड़े हुए किसान खेत मजदूर और प्रवासी मजदूरों के दर्द को सिद्दत से महसूस करते हुए लोगों का जो प्रस्ताव होगा उस पर निष्पक्ष भाव से आप जो है विचार करके हमारे ज्वलंत मुद्दों को भी आप सहानुभूतिपूर्वक और संविधान के निर्देश के अनुसार सम्मान देंगे । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको दोबारा धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया ।

अध्यक्षः धन्यवाद । माननीय सदस्यगण आप ही के मांग पर स्थगित किया गया और आपका सम्मान किया गया । श्री मुकेश सहनी, माननीय मंत्री ।

श्री मुकेश सहनी, मंत्री : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपको अध्यक्ष चुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद । आप अध्यक्ष बने हैं और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो लोग दुहाई हमेशा देते आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने घरों से सीखना चाहिए ऐसे लोगों को और जेल से किसी को फोन नहीं किया जाता जो अगर लोकतंत्र का सम्मान करेगा वह जेल से कभी फोन नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी ।

श्री जीतन राम मांझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इस गरिमामय सदन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ । सबलोग बोलते हैं संविधान के संबंध में, परिनियम और परंपरा के संबंध में लेकिन समय आने पर सब भूल जाते हैं और यही कारण है कि कहीं-कहीं दूसरा विचार आ जाता है । हम समझते हैं सभी माननीय सदस्य हैं, सभी जवाबदेह पद पर आए हैं, जनता की आकांक्षाओं को लेकर के आए हैं । निश्चित रूप में जनता की बात जम्हूरियत के आलोक में, संविधान के आलोक में यहां पर रखेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप एक अच्छे मंत्री के रूप में रहे हैं, अच्छे विधायक के रूप में रहे हैं और आज सदन ने जो आप पर विश्वास किया है हम समझते हैं कि सदन के प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं और आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं । होती है बात कुछ आगे-पीछे की लेकिन जो पंच के मंच पर बैठा होता है वह न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है । वैसी परिस्थिति में एक संविधान की मर्यादा के आलोक में आप अपना काम करेंगे और जनहित की जो समस्या है, बातें हैं उसको निश्चित रूप में इस संविधान और इस संवैधानिक संस्था के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास करेंगे और ऐसा मैं समझता हूँ कि आपको समुचे बिहार के जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के साथी हैं सबका समर्थन आपको प्राप्त हुआ है और सबको एक साथ लेकर चलने की बात कहनी चाहिए और हम समझते हैं कि सब आपका साथ देंगे और अपेक्षा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आगे आने वाले दिनों में इस गुरुत्तर उत्तरदायित्व को संभालने में सक्षम हों भगवान आपकी मदद करे ।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ पुन: आपको इस पद पर आसीन होने के लिए बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके अध्यक्ष चुने जाने पर हम ग्रेंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की तरफ से और अपनी पार्टी ए0आई0एम0आई0एम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और आज आपके चुने जाने के क्रम में जो दृश्य यहां पर देखा गया, उससे जरा थोड़ी देर के लिए तो अफसोस हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र की और जम्हूरियत की बड़ी खूबसूरती है कि एख्तलाफ के बाद, विरोध के बाद भी जब कोई फैसला हो जाता है सब खुशी-खुशी उसे तस्लीम कर लेते हैं हमें आपसे विरोध नहीं आपकी पार्टी और एन0डी0ए0 बीजेपी के नजरियात रहे हैं । उससे विरोध जरूर

रहा है, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं । आपके विरोध में हम खड़े जरूर थे और गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद भी हम गठबंधन के हिमायत पर खड़े थे लेकिन अब जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो हम समझते हैं कि प्रेमचंद महान कहानीकार का अफसाना आपलोगों ने पढ़ा होगा । आपलोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि पंच की कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी पक्ष और विपक्ष नहीं देखता । आप सदन के संरक्षक हैं, हम सबों के गार्जियन हैं, 'कस्टोडियन ऑफ द हाउस' हैं । हम ही नहीं पूरा सदन आपसे ये उम्मीद रखता है कि दो-तीन बातें कही जाती है पक्षधर, निष्पक्ष और सत्य के पक्षधर । लोग निष्पक्ष लोग को अच्छा समझते हैं और आपको भी कुछ लोग निष्पक्ष कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सड़क पर किसी की इज्जत लूटे तो वह पक्षधर हो सकता है बुराईयों का । खड़ा वाला निष्पक्ष हो सकता है लेकिन उसका फरीजा है कि वह सत्य का पक्षधर होकर उसकी इज्जत बचाए । मैं आपको निष्पक्ष नहीं बल्कि सत्य का पक्षधर देखना चाहता हूँ कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं बिहार की जनता आपसे आशा करती है कि सरकार अगर भटक जाए तो उसको लगाम लगाना आपका काम होगा । यहां की बड़ी समस्याएं हैं वक्त आएगा तो बात करूंगा फिलहाल आपको मुबारकबाद देते हुए, मैं जिस सीमांचल से आता हूँ वो सीमांचल बाढ़, बेरोजगारी, अनपढ़ और बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त है । हमारी आप पुरजोर वकालत करेंगे और बिहार में इस वक्त धार्मिक तनाव का जो .....। अपने अध्यक्ष नहीं बनिये, अध्यक्ष जी हैं । अरे बड़े अच्छे अध्यक्ष बनाए हैं आप लोग उनका आदर कीजिए । आप ही बनाए हो, आप ही आदर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बिहार की नई नस्ल की शिक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का, पलायन वाले मजदूरों का, बच्चों की पढ़ाई जो कोरोना से रूकी हुई है उसका और बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का और हमारी गुलनाज की जो इज्जत लूटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार को जरूर मजबूर करेंगे, हम यही आपसे उम्मीद भी रखते हैं और यही आशा भी रखते हैं ताकि आपके सदन में जो समय गुजारे जाएं, आने वाली पीढ़ी उस पर नाज करे, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: धन्यवाद।

माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह जी।

श्री राजकुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ । मेरा इस सदन में पहला अनुभव है और राजनीति में भी पहला ही अनुभव है । मेरा मानना है कि हम सब जिस उद्देश्य को यहां पर लेकर आये हैं, हम

सभी बिहार की 12 करोड़ जनता की अपेक्षा और आशा का प्रतीक यहां पर हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए हम सभी लोगों को संवैधानिक तरीके से कैसे सदन की परम्परा को उसकी मार्यादा को पालन करते हुए और अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। एक बार मैं पुनः अपनी ओर से और अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ ।

अध्यक्षः धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री रामरतन सिंह जी ।

श्री रामरतन सिंहः सबसे पहले मैं अपने वामपंथी दलों की ओर से आपका स्वागत करना चाहूंगा, आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा । वह इसलिए कि अभी-अभी तुरंत हमलोगों ने कुछ सवाल को उठाने का प्रयास किया लेकिन उसके वाबजूद भी चुनाव में आपकी जीत हुई, आप कुर्सी पर विराजमान हुए । हम तमाम लोग उसके बाद भी उन तमाम बातों को भूलकर आपके साथ हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की भावना का सम्मान करते हुए दोनों की समस्याओं को सुनते हुए निश्चित तौर पर आप इंसाफ करेंगे, इंसाफ हमें देंगे, सच्चाई के साथ सदन को चलाने की कोशिश करेंगे ।

इन्हीं चंद शब्दों को कहते हुए मैं आपको पुनः अपनी ओर से अपने तमाम साथियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

अध्यक्षः धन्यवाद ।

माननीय सदस्यगण, सबसे पहले मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझमें विश्वास प्रकट करते हुए मुझे इस आसन पर बैठाया । उसके बाद मैं लोकतंत्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिसमें यह व्यवस्था है कि मेरे जैसा व्यक्ति अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर आसीन हो सकता है। मैं यह सोचकर रोमांचित हो रहा हूँ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी दूर तक सोचकर यह व्यवस्था की थी । बिहार विधान-सभा इस राज्य की जनता की आंकाक्षाओं का मंदिर है। संविधान निर्माताओं ने तीन स्तम्भों का प्रावधान किया था जिसमें विधायिका भी एक प्रमुख है। एक सुविचारित व्यवस्था की कि सरकार के हरेक कार्यकलाप पर विधान-सभा की नजर हो, चलते सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा आमने-सामने सरकार को प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल आदि सूचनाओं के द्वारा अवगत कराया जाता है । साथ ही, याचिका समिति जैसी अन्य समिति के माध्यम से सीधे जनता को सदन को जोड़ा गया है । बिहार विधान-सभा में प्रत्यायुक्त विधान-समिति भी है जिसे सरकार के नियम परिनियम को जांचने की शक्ति है। बिहार विधान-सभा की समितियां रिपोर्ट के माध्यम

से बजटीय सिस्टम ठीक रखने और सुधार के विभिन्न उपायों से सरकार को अवगत कराकर जनहित के कामों को कराती है । स्वस्थ आलोचना और उसका प्रत्युत्तर इस सदन की गरिमा के अनुरूप है। मैंने अपने सदन के जीवन में देखा है, बहुत सारे वरीय सदस्य हैं जिनसे सीखने का मौका मिला है । जिनके नेतृत्व में हमने कदम बढ़ाया है, मुझे खुशी है कि उनके नेतृत्व में इस सदन की मर्यादा बचाने के लिए आपकी जो अपेक्षा है उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा । मैं माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि छोटी-छोटी बातों को तूल न देकर राज्य के विकास की बातों पर यदि ध्यान केन्द्रित करेंगे तो श्रेयस्कर होगा । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमलोगों को ऐसा आचरण अपनाना चाहिए जिससे यह सदन देश के सभी राज्यों में एक उदाहरण पेश करे । चाहे जितनी भी कटु से कटु बात हो हमें उसे सुनना चाहिए और संयम तथा शालीनता से उसका उत्तर देना चाहिए । वैश्विक महामारी के दौर में मानव जाति संकट में पड़ी है । इस दौरान आचार-विचार, रहन-सहन कई व्यवस्थाएं बदल गयी हैं । हमलोगों के विचार को भी बदलना होगा । 21वीं सदी की दहलीज पर विकसित भारत कदम रखने के लिए तैयार है । बिहार को फिर उसी ऐतिहासिक पौराणिक वातावरण में ले जाने के लिए हम सभी सदस्यों से आग्रह करेंगे । एक नये विचार के साथ, नये सकारात्मक भाव के साथ हम कदम बढ़ायें । अध्यक्ष का कर्तव्य सभा का सुव्यवस्थित संचालन करना है इसलिए मुझे इस पर बहुत अधिक बोलने की जरूरत नहीं है । इस संवैधानिक पद का दायित्व आपलोगों ने मुझे दिया है इसके लिए मैं आप लोगों का अनुगृहीत होने के साथ ही अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ । मैं सभी माननीय सदस्यों को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा परन्तु आप सब जानते हैं कि सदन के संचालन के लिए बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली गठित है । इस नियमावली के अन्तर्गत जितनी भी अपेक्षाएं आपकी होगीं उन सब को पूरा करने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। परम्परा रही है कि सभी माननीय सदस्य किसी न किसी समिति के सदस्य बनाये जाते हैं, उस परम्परा का निर्वहन आगे भी होता रहेगा । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि समिति के कार्यकलाप को पारदर्शी-दूरदर्शी बनाने हेतु समिति की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को सकारात्मक सुझाव देंगे ताकि बिहार की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सकें । आप सभी माननीय सदस्य ने मेरे ऊपर विश्वास किया है इसके लिए एक बार फिर मैं आपलोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ ।

डॉ0 सत्यदेव यादवः अध्यक्ष महोदय, सभी दल के लोगों ने आपको मुबारकवाद दिया है आसन ने बहुजन समाजवादी पार्टी और सी0पी0आई0(मार्क्सिसिस्ट) को बधाई देने के लिए आपने आमंत्रित नहीं किया यह भेदभाव है । आगे क्या होगा इससे ही प्रतीत होता है ।

अध्यक्षः आपके सुझाव को ध्यान में रखेंगे ।

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को 11 बजे पूर्वा0 तक के लिए स्थगित की जाती है ।